

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/95/2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025/114

प्रवेश तिथि  
06.03.2025

निर्णय दिनांक  
28.05.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. महादेव पुत्र धूणीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम व तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14  
(4) भू-आवंटन नियम, 1970

## उपस्थित:-

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

## निर्णय:-

तहसीलदार थानागाजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा नं० 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम व तहसील थानागाजी की भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी के द्वारा सन् 1980 में जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम व तहसील थानागाजी की भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तरण संख्या 496 दिनांक 21.05.1983 को गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर संवत् 2040 से 2080 तक की खसरा गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है, पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का थानागाजी दिनांक 30.12.2024 उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम व तहसील थानागाजी के आवंटी महादेव पुत्र धूणीलाल जाति महाजन सा० थानागाजी तहसील थानागाजी के नाम गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का थानागाजी अप्रार्थी/आवंटी को आवंटित खसरा नंबर 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम व तहसील थानागाजी मौके पर कोई फसल काशत नहीं हो रही

है। उक्त खसरा नंबर पर आवंटी/अप्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि पर संवत 2040 से 2080 तक की खसरा गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है एवं पड़त भूमि दर्ज है। मुताबिक भूअ.निरीक्षक व पटवारी हल्का थानागाजी की मौका पर्चा रिपोर्ट आवंटित आराजी खसरा नंबर 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम थानागाजी की भूमि पर मौके पर पक्की दुकानें बनी हुई हैं। आवंटी/अप्रार्थी का उक्त खसरे पर कब्जा नहीं है तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना अंकित किया गया है। तामिल कुलिंदा की तामील रिपोर्ट अनुसार आवंटी/अप्रार्थी महादेव पुत्र धूणीलाल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम थानागाजी में नहीं रहता है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित खसरा नंबर 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम व तहसील थानागाजी की की भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भूआवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा सन् 1980 में अप्रार्थी महोदव पुत्र धूणीलाल जाति महाजन निवासी थानागाजी तह० थानागाजी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नम्बर 1763 रकबा 0.04 है० किस्म गै०मु०बाडा वाके ग्राम व तहसील थानागाजी की भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज०)